अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1839(अ).—जबकि आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई,1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 469 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री हरी पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, 5/ए, कृष्णा सोसाइटी, निकट लॉ गार्डन, एलीसब्रिज, अहमदाबाद - 6 द्वारा सचिना सब-पंचायत, गाँव हरीपुर तालुक विरमगाम जिला अहमदाबाद, गुजरात में सभी सुख-सुविधाओं सहित आँखों के हस्पताल और वृद्धाश्रम के निर्माण, उपस्करों की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 7 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 18 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना सं0 1145 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 29 सितम्बर,2003 की अधिसूचना सं0 1131 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरी पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, 5/ए, कृष्णा सोसाइटी, निकट लॉ गार्डन, एलीसब्रिज, अहमदाबाद - 6 द्वारा चलाई जा रही सचिना सब-पंचायत, गाँव हरीपुर तालुक विरमगाम जिला अहमदाबाद, गुजरात में सभी सुख-सुविधाओं सहित आँखों के हस्पताल और वृद्धाश्रम के निर्माण, उपस्करों की परियोजना या स्कीम को 87.52 लाख रूपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 306/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)